इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स का मासिक न्यूजलेटर प्रति माह 40/ रुपए
(आईएसओ 9001 : 2015 द्वारा प्रमाणित)

व्यावसायिक
उत्कृष्टता के
प्रति प्रतिबद्ध

आईआईबीएफ विजन

खंड : 12 अंक संख्या: 5 दिसम्बर, 2019 पृष्ठों की संख्या 15

विजन : बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र में सक्षम व्यावसायिक शिक्षित एवं विकसित करना।
मिशन : प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना।

इस अंक में

मौद्रिक नीति ----------2
मुख्य घटनाएँ ----------2
बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ----------3
बैंकिंग जगत की घटनाएँ----------4
विनियामकों के कथन ----------5
उत्पाद एवं गठजोड़----------6
विदेशी मुद्रा ----------6
शब्दावली ----------7
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी ----------7
संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां ----------8
संस्थान समाचार ----------9
नयी पहलकदमी ----------12
बाजार की खबरें ----------12

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना / समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों/ मीडिया में प्रकाशित हो चुकी/चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की/ किए जा रही / रहे हैं। उक्त सूचना/समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित/उल्लिखित घटनाएँ संबन्धित स्रोत द्वारा यथा-अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स समाचार मदों/घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी भी प्रकार से न तो उत्तरदाई है, न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

मौद्रिक नीति

5 दिसम्बर, 2019 से आयोजित द्विमासिक मौद्रिक नीति की 5वीं बैठक की मुख्य विशेषताएं

- चलनिधि समायोजन सुविधा (LAF) के तहत नीतिगत पुनर्खरीद (repo) दर को 5.15% पर अपरिवर्तित रखना।
- फलत: चलनिधि समायोजन सुविधा के तहत प्रतिवर्ती (reverse) पुनर्खरीद दर 4.90% पर और सीमांत स्थायी सुविध (MSF) तथा बैंक दर 5.40% पर अपरिवर्तित।
- मौद्रिक नीति समति (MPC) ने मुद्रास्फीति को लक्ष्य के भीतर रखना सुनिश्चित करते हुये वृद्धि को पुनर्जीवित करने के लिए निभावपरक रुख को जब तक वह आवश्यक हो तब तक जारी रखने का भी निर्णय लिया।
- ये निर्णय वृद्धि को समर्थन प्रदान करते हुये 4% की उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) मुद्रास्फीति को +/-2% की पट्टी के भीतर रखने के मध्यावधिक लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य के अनुरूप हैं।

मुख्य घटनाएँ

भारतीय रिजर्व बैंक ने खुदरा भुगतानों के लिए पहला कोहार्ट खोला

भारतीय रिजर्व बैंक ने खुदरा भुगतानों को विषय (theme) के रूप में अपनाते हुये विनियामक सैंडबाक्स के अधीन पहली इकाई (cohort) आरंभ किए जाने की घोषणा की है। फीचर फोन-आधारित भुगतान सेवाओं, मोबाइल उपकरणों के जरिये आफ़लाइन भुगतान समाधानों तथा संपर्क-रहित भुगतानों सहित मोबाइल भुगतान में कुछेक ऐसे नवोन्मेषी उत्पाद एवं सेवाओं का समावेश है जिन्हें विनियामक सैंडबाक्स में शामिल किए जाने पर विचार किया जाएगा। भुगतान की डिजिटल विधियाँ ग्राहकों को संघर्ष-रहित अनुभव प्रदान करते हुये नकद अर्थव्यवस्था से जुड़ी कुछेक लागतों में कमी ला सकती हैं।

बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और मूल निवेश कंपनियों के लिए चलनिधि जोखिम प्रबंधन ढांचा

भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) से चलनिधि जोखिम प्रबंधन के लिए एक वांछनीय संगठनात्मक ढांचे की व्यवस्था करने, एक आकस्मिक निधीयन योजना तैयार करने तथा अंतर-समूह लेनदेनो और एक्सपोजरों (ITEs) के कारण पैदा होने वाले संभाव्य रूप से वर्धित जोखिम की पहचान करने के लिए कहा है। ये निर्धारण 100 करोड़ रुपए और उससे अधिक के आस्ति आकार वाली सभी जमा न स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, सर्वांगी महत्वपूर्ण मूल निवेश कंपनियों तथा उनका आस्ति आकार चाहे जैसा भी क्यों न हो सभी जमा स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए चलनिधि जोखिम प्रबंधन ढांचे के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अंग हैं। उनके लिए चलनिधि व्याप्ति अनुपात के अनुसार ऐसा चलनिधि भंडार बनाए रखना भी आवश्यक है, जो यह सुनिश्चित करते हुये कि उनके पास 30 दिन तक चलने वाले किसी भीर चलनिधि दबाव वाले परिदृश्य में अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाली अनिरुद्ध (liquid) आस्ति (HQLA) मौजूद हो, संभाव्य चलनिधि विघटनों के प्रति गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की आघात-सहनीयता को बढ़ावा देगा।

बैंकिंग जगत की घटनाएँ

4

सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा चूकों का प्रकटन : भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने घोषणा की है कि सूचीबद्ध कंपनियों को बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से नकद ऋण जैसी परिक्रामी (revolving) सुविधाओं सहित ऋणों के संबंध में किसी भी ऐसी चूक का प्रकटन करना होगा जो 30 दिनों से अधिक तक जारी रहे। इसप्रकार के प्रकटन त्वरित रूप से किन्तु इस प्रकार की चूक के 30वें दिन से अधिकतम 24 घंटों के भीतर किये जाने चाहिए। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने कहा है कि ये प्रावधान 1 जनवरी, 2020 से लागू होंगे।

भारतीय रिजर्व बैंक ने सूक्ष्म वित्त संस्थाओं से उधार की सीमा बढाई

आर्थिक पिरामिड के निम्नतम स्तर पर जीवन-यापन करने वाले लोगों को ऋण प्रदान करने में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (MFIs) द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुये तथा बढ़ती अर्थव्यवस्था में अपनी भूमिका निभाने में उन्हें समर्थ बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों - सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (NBFC-MFIs) के उधारकर्ताओं की घरेलू आय सीमाओं को ग्रामीण क्षेत्रों के मामले में 1,00,000 रुपए तथा शहरी क्षेत्रों के मामले में 1,60,000 रुपए के वर्तमान स्तर से बढ़ा कर क्रमश: 1,25,000 और 2,00,000 रुपए कर दिया है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग क्षेत्र के बेहतर पर्यवेक्षण एवं विनियमन के लिए 2 नए विभागों का गठन किया

भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने पर्यवेक्षी और विनियामक कार्यों को दो विभागों में पुनर्गठित किया है। बढ़ती जटिलताओं, आकार एवं अंतर-संबद्धता का निराकरण करने तथा उस संभाव्य प्रणालीगत जोखिम, जो संभाव्य पर्यवेक्षी अंतरपणन और सूचना की असममिति से पैदा हो सकता है, से अधिक प्रभावी रीति से निपटने के लिए विनियमित संस्थाओं के पर्यवेक्षण एवं विनियमन के प्रति एक समग्र दृष्टिकोण अपनाने की दृष्टि से 01 नवंबर, 2019 से पर्यवेक्षण के कार्य को एक समेकित पर्यवेक्षण विभाग में और विनियामक कार्य को एक समेकित विनियमन विभाग में एकीकृत किए जाने का निर्णय लिया गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने निजी बैंकों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों, पूर्णकालिक निदेशकों के प्रतिकर संबंधी दिशानिर्देश संशोधित किए

निजी बैंकों, पूर्णत: स्वाधिकृत समनुषंगी प्रणाली (WOS) के अधीन परिचालनरत विदेशी बैंकों और भारत में शाखा प्रणाली के अधीन परिचालनरत विदेशी बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे पूर्णकालिक निदेशकों (WTDs)/ मुख्य कार्यपालक अधिकारियों को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (B. R. Act, 1949) की धारा 35बी के अनुसार पारिश्रमिक (प्रतिकर) मंजूर करने हेतु विनियामक अनुमोदन प्राप्त करें। उक्त अनुमोदन प्रक्रिया में अन्य बातों के साथ-साथ इस आशय का एक मूल्यांकन भी शामिल होगा कि बैंक की प्रतिकर नीतियाँ एवं प्रथाएँ भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों और बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति (BCBS) की कार्यप्रणालियों के अनुसार हैं या नहीं। बैंकों के निदेशक मण्डल को बोर्ड की ओर से बैंक की प्रतिकर नीति को तैयार करने, उसकी समीक्षा एवं उसके कार्यान्वयन पर निगरानी रखने हेतु एक "नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति" (NRC) का गठन करना चाहिए। बैंकों को अपने उन महत्वपूर्ण जोखिम वहनकर्ताओं (MRTs) की पहचान कर लेनी चाहिए जिनके कार्यों का बैंक के जोखिम एक्सपोजर पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा हो तथा जो गुणात्मक एवं उक्त दिशानिर्देशों में यथाविनिर्दिष्ट किसी भी एक मात्रात्मक मानदंड को पूरा करते हों।

विनियामकों के कथन

भारतीय बैंकिंग निर्णायक अवस्था में : शक्तिकांत दास

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास ने कहा है कि बैंकों को अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है। समाज से अप्रतिभूत देयताओं को जुटाने तथा उन्हें विविध वीथियों (avenues) एवं उद्यमों में अभिनियोजित करके राजस्व सृजित करने का विशेषाधिकार इस प्रकार के अभिनियोजन का विवेकसम्मत जोखिम निर्धारण आवश्यक बना देता है। इस प्रक्रिया में बैंकों को निश्चित रूप से एक ऐसा उत्तरदायित्व वहन करना होगा जो मूलभूत सुविधा सहित अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों की वृद्धि में योगदान करने से संबन्धित है। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने विनियामक और पर्यवेक्षी स्टाफ में पर्यवेक्षी कौशल बढ़ाने और उसे पुनर्बबलित करने के लिए पर्यवेक्षकों के एक महाविद्यालय की स्थापना की प्रक्रिया

आरंभ कर दी है। इसके अतिरिक्त, विनियामक एवं पर्यवेक्षी कार्यकलापों को आगे बढ़ाने तथा उसे सहारा देने हेतु एक आंतरिक पर्यवेक्षी अनुसंधान एवं विश्लेषण स्कन्ध का सृजन भी किया जा रहा है।

उत्पाद एवं गठजोड़

संगठन	जिस संगठन के साथ गठजोड़ हुआ	उद्देश्य
यूनाइटेड़ बैंक आफ इंडिया	श्रेय ईक्विपमेंट फ़ाइनैन्स	एक सह-उधारदायी व्यवस्था के अधीन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र तथा खुदरा ग्राहकों को ऋण प्रदान करना।

विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियाँ

मद	22 नवंबर, 2019 के दिन बिलियन रुपए	22 नवंबर, 2019 के दिन मिलियन अमरीकी डालर
कुल प्रारक्षित निधियाँ	3219474	448596
(क) विदेशी मुद्रा आस्तियां	2990717	416725
(ख) सोना	192307	26796
(ग) विशेष आहरण अधिकार	10333	1,440
(घ) अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधि की स्थिति 26118	26118	3635

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

दिसम्बर, 2019 माह के लिए लागू अनिवासी विदेशी मुद्रा (बैंक) की न्यूनतम दरें

विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों की आधार दरें

मुद्रा	1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष	4 वर्ष	5 वर्ष
अमरीकी डालर	1.74300	1.62700	1.56850	1.56120	1.58400
जीबीपी	0.73820	0.7757	0.7838	0.7975	0.8097

यूरो	-0.34000	-0.330	-0.313	-0.271	**-0.230**
जापानी येन	-0.00880	-0.030	-0.038	-0.048	-0.039
कनाडाई डालर	2.10000	1.888	1.872	1.863	1.856
आस्ट्रेलियाई डालर	0.72300	0.710	0.827	0.860	0.911
स्विस फ्रैंक	-0.66250	-0.683	-0.653	-0.615	-0.572
डैनिश क्रोन	-0.22680	-0.221	-0.196	-0.159	-0.115
न्यूजीलैंड डालर	1.20750	1.188	1.195	1.218	1.255
स्वीडिश क्रोन	0.18500	0.225	0.247	0.275	0.326
सिंगापुर डालर	1.41000	1.395	1.409	**1.440**	1.475
हांगकांग डालर	2.16000	1.990	1.945	1.910	1.875
म्यामार	3.28000	3.240	3.260	3.290	3.300

स्रोत : www.fedai.org.in

शब्दावली

विनियामक सैंडबाक्स

आम तौर पर विनियामक सैंडबाक्स नए उत्पादों अथवा सेवाओं के एक नियंत्रित अथवा परीक्षण विनियामक वातावरण में ऐसे गतिशील (live) परीक्षण से संबन्धित होता है जिस्के लिए विनियामक परीक्षण के सीमित उद्देश्य के लिए कुछेक ऐसी विनियामक छूटें दे सकते हैं या नहीं भी दे सकते। विनियामक सैंडबाक्स का उद्देश्य वित्तीय सेवाओं में उत्तरदायों नवोन्मेष का सूत्रपात करना, कार्यकुशलता को बढ़ावा देना तथा उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाना होता है।

वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी

मस्तूल / चापलूस व्यवस्था

मस्तूल (मालस) व्यवस्था बैंक को किसी आस्थगित पारिश्रमिक की समस्त या आंशिक रकम के निहितीकरण (vesting) को रोकने की अनुमति प्रदान करती है। मस्तूल व्यवस्था पहले से सम्पन्न हो चुके निहितीकरण को व्युत्क्रमित नहीं करती। दूसरी ओर चापलूस व्यवस्था (clawback) कर्मचारी और बैंक के बीच एक ऐसा संविदात्मक करार
होती है जिसमें कर्मचारी इसके पहले भुगतान किए गए अथवा निहितीकृत पारिश्रमिक को कुछेक परिस्थितियों में बैंक को वापस करने पर सहमत होता है।

संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां

दिसंबर, 2019 माह के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

कार्यक्रम	तिथि	स्थल
प्रमाणित ऋण व्यावसायिकों के लिए परीक्षोपरांत कंप्यूटर पर आधारित विधि से प्रशिक्षण (वीसीआरटी सीसीपी -33)	18 से 20 दिसंबर, 2019 तक	इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फ़ाइनैन्स, लीडरशिप सेंटर, मुंबई
प्रमाणित ऋण व्यावसायिक पाठ्यक्रम हेतु 3 दिवसीय भौतिक कक्षा में शिक्षण	19 से 19 से 21 दिसंबर, 2019 तक	व्यावसायिक विकास केंद्र, आइआइबीएफ, उत्तर अंचल, नई दिल्ली
बैंकों में वसूली प्रबंधन	16 से 18 दिसंबर, 2019 तक	लीडरशिप सेंटर, आईआईबीएफ, मुंबई
वित्तीय सेवाओं में जोखिम में प्रमाणपत्र परीक्षोपरांत भौतिक विधि से प्रशिक्षण	19 से 21 दिसंबर, 2019 तक	लीडरशिप सेंटर, आईआईबीएफ, मुंबई
वित्तीय सेवाओं में जोखिम पर प्रमाणपत्र हेतु 3 दिवसीय परीक्षोपरांत भौतिक कक्षा में शिक्षण	9 से 11 दिसंबर, 2019 तक	व्यावसायिक विकास केंद्र, आइआइबीएफ, उत्तर अंचल, नई दिल्ली
प्रमाणित खजाना व्यावसायिकों के लिए परीक्षोपरांत कक्षा में शिक्षण (3 दिवसीय - भौतिक विधि)	19 दिसंबर, 201	19 दिसंबर से 21 दिसंबर, 2019 तक (3 दिवसीय)	व्यावसायिक विकास केंद्र, आइआइबीएफ, दक्षिण अंचल, चेन्नै
प्रमाणित ऋण व्यावसायिकों हेतु परीक्षोपरांत कक्षा में शिक्षण (3 दिवसीय भौतिक विधि)	16 से 2019 तक	16 से 18 दिसंबर, 2019 तक	व्यावसायिक विकास केंद्र, आइआइबीएफ, दक्षिण अंचल, चेन्नै
प्रमाणित ऋण व्यावसायिकों हेतु परीक्षोपरांत कक्षा में शिक्षण (3 दिवसीय भौतिक विधि)	16 से 18 दि 2019 तक	16 से 18 दिसंबर, 2019 तक	व्यावसायिक विकास केंद्र, आइआइबीएफ, दक्षिण अंचल, चेन्नै

प्रमाणित ऋण व्यावसायिकों हेतु परीक्षोपरांत कक्षा में शिक्षण (3 दिवसीय भौतिक विधि)	11 से 2019 तक	11 से 13 दिसंबर, 2019 तक	व्यावसायिक विकास केंद्र, आइेआइंबीएफ, पूर्व अंचल, कोलकाता

संस्थान समाचार

10वां आर॰ के॰ तलवार स्मारक व्याख्यान

संस्थान द्वारा वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के प्रधान आर्थिक सलाहकार और जी॰ 20 ढांचे के कार्य दल के सह-अध्यक्ष श्री संजीव सान्याल द्वारा 22 नवंबर, 2019 को दिये जाने वाले 10वें आर॰ के. तलवार स्मारक व्याख्यान की मेजबानी की गई। इस व्याख्यान का विषय था बियोंड रिस्क : पालिसी मेकिंग फार एँन अनसर्टेन वर्ल्ड । उक्त व्याख्यान में अनेक वरिष्ठ बैंकरों तथा विविध क्षेत्रों के अन्य उच्च पदाधिकारियों ने भाग लिया।

बैंकिंग प्रौद्योगिकी में शोध फ़ेलोशिप

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स द्वारा पूर्णत: निधीयन सुविधा प्राप्त बैंकिंग प्रौद्योगिकी में शोध फ़ेलोशिप इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स (IIBF) तथा बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास और अनुसंधान संस्थान (IRDBT) की एक पहलकदमी है। इस फ़ेलोशिप का उद्देश्य तकनीकी और आर्थिक रूप से संभाव्य ऐसी शोध परियोजनाओं को प्रायोजित करना है जिनमें बैंकिंग एवं वित्त उद्योग के प्रति महत्वपूर्ण रूप से योगदान करने की संभाव्यता निहित हो। वे क्षेत्र जिनमें शोध प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं, वेबसाइट में सूचीबद्ध किए गए हैं। उक्त योजना 15-10-2019 से 14-01-2020 तक खुली है।

सूक्ष्म/स्थूल आलेख आमंत्रित

संस्थान वर्ष 2019-20 के लिए सूक्ष्म आलेख एवं स्थूल शोध प्रस्ताव आमंत्रित करता है। वे विषय जिन पर सूक्ष्म/ स्थूल आलेख प्रस्तुत किए जाने हैं, वेबसाइट में सूचीबद्ध हैं। आलेख/प्रस्ताव

प्रस्तुत किए जाने की अंतिम तिथि 31 जनवरी, 2020 है। विवरण के लिए **www.iibf.org.in.** देखें।

बैंक क्वेस्ट विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की जर्नलों की केयर सूची में शामिल

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स के तिमाही जर्नल बैंक क्वेस्ट को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के समूह बी वाले जर्नलों की केयर सूची में शामिल किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सावित्री फुले पुणे विश्वविद्यालय (SPPU) में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग – शैक्षिक एवं शोध नीति-शास्त्र संकाय (UGC- Consortium for academic and Research Ethics) सृजित करने हेतु प्रकाशन नीति-शास्त्र केंद्र (CPE), में जर्नलों के विश्लेषण के लिए एक कक्ष की स्थापना की थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सूचना के अनुसार सभी शैक्षिक प्रयोजनों के लिए केवल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की केयर सूची में समाविष्ट जर्नलों के शोध प्रकाशनों का ही उपयोग किया जाना चाहिए।

आत्म-समगामी ई-शिक्षण (SPeL) पाठ्यक्रम

संस्थान को अपने दो प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों-यथा डिजिटल बैंकिंग और बैंकिंग में नैतिकता के लिए आत्म-समगामी (self-paced) ई-शिक्षण पाठ्यक्रमों की घोषणा करते हुये प्रसन्नता होती है। इस आत्म-समगामी ई-शिक्षण का उद्देश्य बैंकिंग एवं वित्त क्षेत्रों में नियोजित व्यावसायिकों को एक अधिक सहायक प्रशिक्षण वातावरण उपलब्ध कराना है। आत्म-समगामी ई-शिक्षण विधि में अभ्यर्थी को परीक्षा हेतु पंजीकरण कराने, स्वयम अपनी गति से सीखने और अंत में स्वयम अपने स्थान से परीक्षा में शामिल होने की सुविधा प्राप्त होगी। उक्त दोनों पाठ्यक्रमों के लिए आनलाइन पंजीकरण 9 अप्रैल, 2019 से प्रारम्भ हो गए हैं। अधिक विवरण के लिए कृपया लिंक http://www.iibf.org.in/documents/SPeLnotice.pdf देखें।

कारबार संपर्कियों का अनिवार्य प्रमाणन

भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और भुगतान बैंकों दोनों के कारबार संपर्कियों के प्रमाणन के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स को एकमात्र प्रमाणन एजेंसी के रूप में अभिज्ञात किया है। भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से उक्त परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम संशोधित कर दिया गया है। संस्थान ने कारबार संपर्कियों के

प्रमाणन के लिए सीएसआर -ई- अभिशासन (CSR-e- Governance) के साथ गठजोड़ भी कर रखा है।

बैंकों में क्षमत निर्माण

संस्थान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अभिज्ञात परिचालन के चार मुख्य क्षेत्रों, यथा खजाना प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन, लेखांकन और ऋण प्रबंधन में पाठ्यक्रम उपलब्ध कराता है। ये पाठ्यक्रम आनलाइन परीक्षा के साथ प्रकृति की दृष्टि से मिश्रित हैं जिसके बाद उनमें ऐसे अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है जिन्होंने आनलाइन परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर ली है। इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय बैंक संघ को संबोधित तथा प्रति इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैंस को पृष्ठांकित दिनांक 31 मई, 2017 के अपने पत्र के तहत यह कहा है कि भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ के सहयोग से इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स द्वारा उपलब्ध कराया जाने वाला विदेशी मुद्रा में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम ऐसे सभी बैंक कर्मचारियों, जो खजाना परिचालन सहित विदेशी मुद्रा परिचालन के क्षेत्र में कार्यरत है या कार्य करने के इच्छुक हैं, के लिए एक अनिवार्य प्रमाणन होगा। कृपया परीक्षा हेतु पंजीकरण और अधिक विवरण के लिए वेबसाइट www.iibf.org.in

प्रौद्योगिकी पर आधारित कक्षा में समाधान

संस्थान ने प्रौद्योगिकी पर आधारित कक्षा वाली विधि के माध्यम से प्रशिक्षण संचालित करने हेतु एक साफ्टवेयर अभिगृहीत किया है। यह साफ्टवेयर गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी लाये बिना संस्थान को प्रशिक्षार्थियों की काफी बड़ी संख्या तक प्रशिक्षण सामग्री प्रसारित करने में समर्थ बनाएगा। वित्तीय सेवाओं में जोखिम में प्रौद्योगिकी पर आधारित प्रशिक्षण भी आरंभ कर दिया गया है। अधिक विवरण के लिए हमारी वेबसाइट www.iibf.org.in देखें।

परीक्षाओं के लिए छद्म जांच सुविधा

संस्थान अपने मुख्य पाठ्यक्रमों यथा जेएआईआईबी और सीएआईआईबी के अलावा अपने तीन विशिष्टीकृत पाठ्यक्रमों यथा प्रमाणित खजाना व्यावसायिक, प्रमाणित ऋण व्यावसायिक और वित्तीय सेवाओं में जोखिम के लिए छद्म जांच सुविधा प्रदान करता है। उक्त छद्म जांच में कोई भी बैंक कर्मचारी शामिल हो सकता है।

आगामी अंक के लिए बैंक क्वेस्ट की विषय-वस्तु

"बैंक क्वेस्ट" के आगामी अंकों के लिए विषय-वस्तुयेँ हैं :

- आल्टरनेटिव चैनेल्स आफ इन्वेस्टमेंट्स- सब-थीम्स : म्यूचुअल फंडस, पोस्ट आफिस एंड बैंक डिपोजिट्स एंड अदर्स जनवरी - मार्च, 2020

- स्ट्रैटेजिक टेकनालोजी ट्रेंड्स इन बाइंक्स- सब थीम्स : ट्रेडीशनल लेंडिंग टू डिजिटल फलो बेस्ड लेंडिंग , फिंटेक लैंडस्केप इन इंडिया, साइबर सिक्योरिटी, बिग डाटा एनालिटिक्स, कस्टमर एक्सपीरिएन्स अप्रैल - जून, 2020

परीक्षाओं के लिए दिशानिर्देशों /महत्वपूर्ण घटनाओं की निर्धारित तिथि

संस्थान में इस बात की जांच करने के उद्देश्य से कि अभ्यर्थी अपने –आपको वर्तमान घटनाओं से अवगत रखते हैं या नहीं प्रत्येक परीक्षा में कुछ प्रश्न हाल की घटनाओं/ विनियामक/कों द्वारा
जारी दिशानिर्देशों के बारे में पूछे जाने की परंपरा है। हालांकि, घटनाओं/दिशानिर्देशों में प्रश्नपत्र तैयार किए जाने की तिथि से और वास्तविक परीक्षा तिथि के बीच की अवधि में कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। इन मुद्दों का प्रभावी रीति से **समाधान** करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि

(i) संस्थान द्वारा फरवरी, 2019 से जुलाई, 2019 तक की अवधि के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में प्रश्नपत्रों में समावेश के लिए विनियामक/कों द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में 30 जून, 2019 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।

(ii) संस्थान द्वारा अगस्त, 2019 से जनवरी, 2020 तक की अवधि के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में प्रश्नपत्रों में समावेश के लिए विनियामक/कों द्वारा
जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में 30 दिसंबर, 2019 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।

नई पहलकदमी

सदस्यों से अनुरोध है कि वे संस्थान के पास मौजूद उनके ई-मेल पते अद्यतन करा लें तथा वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के जरिये प्राप्त करने हेतु अपनी सहमति भेज दें।

समाचार पंजीयक के पास आरएनआई संख्या 69228/1998 के अधीन पंजीकृत

बाजार की ख़बरें

भारित औसत मांग दरें

6
5.8
5.6
5.4
5.2
5
4.8
4.6

जून, 2019, जुलाई, 2019, अगस्त, 2019, सितंबर, 2019, अक्तूबर, 2019, नवंबर, 2019
स्रोत : भारतीय समाशोधन निगम न्यूजलेटर, नवम्बर, 2019

भारतीय रिजर्व बैंक की संदर्भ दर

95
90

85	अमरीकी डालर
80	**जीबीपी**
75	**यूरो**
70	**येन**
65	
60	
55	

50

जून, 2019, जुलाई, 2019, अगस्त, 2019, सितंबर, 2019, अकतूबर, 2019, नवम्बर, 2019
स्रोत : फाइनैन्सियल बेंचमार्क आफ इंडिया लिमिटेड (FBIL)

खाद्येतर ऋण वृद्धि %

14
13
12
11
10
9
8
7
6
5

मई, 2019, जून, 2019, जुलाई, 2019, अगस्त, 2019, सितंबर, 2019, अक्तूबर, 2019
स्रोत : मंथली रिव्यू आफ इकानामी, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, नवम्बर, 2019

बंबई शेयर बाजार सूचकांक

42000.00
40000.00
38000.00
36000.00

34000.00
32000.00
30000.00

मई, 2019, जून, 2019, जुलाई, 2019, अगस्त, 2019, सितम्बर, 2019, अकतूबर, 2019
स्रोत : बंबई शेयर बाजार (B S E)

समग्र जमा वृद्धि %

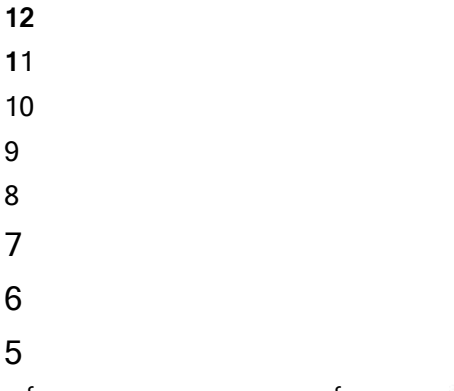

स्रोत : मंथली रिव्यू आफ इकानामी, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, नवम्बर, 2019

डा॰ जे॰ एन॰ मिश्र द्वारा मुद्रित, □□□ □□□□□ मिश्र द्वारा इंडियन इंस्टिट्यूट आ□ बैंकिंग एंड□ फाइनैन्स की □ □ □प्रकाशित तथ□ □ □□□□ प्रेस, 16 □□□□ □□□, □□□□□, □□□- 400 018 में मुद्रित □□इंडियन इंस्टिट्यूट 3□ □ बैंकिंग एं□ फाइनैन्स, कोहिनूर सिटी, कामर्शियल-II, □□□□-1, 2री □□□□, किरोल □□, कुर्ला (पश्चिम),,□□□ – 400 070 □प्रकाशित।
□□□□ : □□□ □□□□□ मिश्र

इंडियन इंस्टिट्यूट □ □ बैंकिंग एं□ फाइनैन्स
कोहिनूर सिटी, कामर्शियल-II, □□□□-1, 2री □□□□,
किरोल □□, कुर्ला (पश्चिम), ,□□□ – 400 070
टेलीफोन : 91-22-2503 9604/ 9607 फैक्स : 91-22-2503 7332
□□ : INSTIEXAM □-□□ : admin@iibf.org.in.
□□□□□□ : www.iibf.org.in.